रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED NO. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1984 अग्रहायण 24, 1906
No. 471] NEW DELHI, SATURDAY, DEC 15, 1984/AGRAHAYANA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1984

सा. का. नि. सं. 815 (अ) :—केन्द्र सरकार, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली परिवहन निगम (निदेशक मंडल) नियम, 1984 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) ये नियम दिल्ली परिवहन निगम (निदेशक मंडल) संशोधन नियम 1984 है ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दिल्ली परिवहन निगम (निदेशक मंडल) नियम, 1984 में, नियम 7 के उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रहेंगे, अर्थात् :—

"(2) नियम 3 के खंड (ग) के तहत नियुक्त निदेशक, मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए एक सौ रुपए और मंडल की समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए पचहत्तर रुपए शुल्क पाने का हकदार होगा ।

बशर्ते कि जहां कोई उक्त निदेशक एक दिन में मंडल की बैठक और समिति की बैठक दोनों में उपस्थित होता है तो वह ऐसी बैठकों में उपस्थित होने के लिए केवल एक सौ रुपए शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा ।

परन्तु बशर्ते कि ऐसे निदेशक को एक महीने में दिए जाने वाले शुल्क की कुल राशि पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।"

[एफ. सं.-टी.जी.डी. (27)/83]

गोविन्दजी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1984

G.S.R. No. 815(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Transport Corporation (Board of Directors) Rules, 1984, for sub-rule (2) of rule 7, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Director appointed under clause (c) of rule 3 shall be entitled to a fee of one hundred rupees for

attending each meeting of the Board and to a fee of seventy five rupees for attending each meeting of a committee of the Board.

Provided that where any such Director attends on the same day a meeting of the Board and a meeting of the committee, he shall be entitled only to a fee of one hundred rupees for attending such meetings :

Provided further that the aggregate amount of the fees payable to such Director during any month shall not exceed five hundred rupees.".

[F. No. TGD(27)|83]
G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984